



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर


वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक: 16276

दिनांक : 20.02.2023

संशोधित विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षान्त समारोह, 2023 में स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षा/विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इच्छुक प्रदाता व्यक्ति/संस्थाएं दिनांक 25.02.2023 तक विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर देखें।


कुलसचिव





पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

दिनांक : 20.02.2023

क्रमांक: 16276

दीक्षान्त समारोह 2023 में स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था हेतु आवेदन प्रपत्र

1. व्यक्ति/संस्था का नाम:
2. व्यक्ति/संस्था का पूर्ण पता:
(पिनकोड सहित)
3. व्यवसाय:
4. व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रदत्त
की जाने वाली राशि (न्यूनतम 5 लाख)
5. सजायापत्ता/आपराधिक रिकॉर्ड
यदि हो तो उसका विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक की घोषणा

मैं सशपथ घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में लिखित समस्त सूचनाएं सही हैं तथा उपर्युक्त में कोई गलत/असत्य पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरगाण नं.: 01572-232411

क्रमांक: 16276

दिनांक : 20.02.2023

दीक्षान्त समारोह 2023 में स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था हेतु स्वर्ण पदक के मानदण्ड/नियम

1. गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुसरण किया जायेगा।
2. जो व्यक्ति या संस्था गोल्ड मेडल देना चाहता है, वह एक मेडल के लिये कम से कम 5 लाख रुपये जमा करवायेगा।
3. उक्त जमा राशि से प्राप्त ब्याज की राशि से मेडल प्रदान किया जायेगा।
4. जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हों, व्यस्क हों, अथवा विधि द्वारा अन्यथा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, वह व्यक्ति/संस्था हेतु राशि जमा करवा सकेगा।
5. यदि गोल्ड की बाजार दर में परिवर्तन होता है तो संबंधित व्यक्ति/संस्था को इस बारे में सूचित कर दिया जायेगा जिससे अतिरिक्त राशि जमा करवाई जा सके।
6. यदि जमा राशि से प्राप्त ब्याज की राशि से गोल्ड मेडल की कीमत की पूर्ति नहीं होती है और उक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त राशि जमा नहीं कराई जाती हो तो संस्था या व्यक्ति की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।